भारतीय जीवन बीमा निगम,मंडल कार्यालय:जीवन प्रकाश,19 महात्मा गांधी रोड इंदौर(म.प्र.)

अनुलग्नक अ

सन्दर्भ:का.से./ वि.प्र.के./कैंटीन **दिनांक:01.03.2023**

विक्रय प्रशिक्षण केंद्र,संगम नगर इंदौर में प्रशिक्षणार्थियों के खान-पान के कार्यों हेतु फायनान्सियल बिड(आर्थिक निविदा) के लिए आवश्यक निर्देश एवं शर्ते।

(लिमिटेड टेंडर : केवल मंडल कार्यालय इंदौर के पंजीकृत वेंडर हेतु)

अ: खान- पान संबन्धी निर्देश एवं शर्तें :

:चाय- नाश्ता:

1.बेड-टी: सुबह **6.30** बजे से **7.००** बजे होस्टल के कमरे में थर्मस में पहुँचाना

2.नाश्ता (ब्रेकफास्ट) [असीमित मात्रा] डायनिग हॉल में प्रातः 8.30 से 9.30 बजे निम्न में से एक प्रकार का [बुफे सिस्टम] :-

(अ) आलू पराठा, दही(100 ग्राम), फल (1 बड़ा केला या पपीता 100 ग्राम) एवं चाय अथवा

(ब) इडली-सांभर/वडा-सांभर ,नारियल चटनी, फल (1 बड़ा केला या पपीता 100 ग्राम) एवं चाय अथवा

(स) पूरी , आलू टमाटर की सब्जी, फल(1 बड़ा केला या पपीता100 ग्राम) एवं चाय अथवा

(द्) ब्रेड मख्खन के साथ तथा कटलेट,फल(1 बड़ा केला या पपीता 100 ग्राम) एवं चाय अथवा

(इ) प्लेन पराठा, आलू टमाटर की सब्जी/ चने की सब्जी, फल(1 बड़ा केला या पपीता100 ग्राम)एवं चाय अथवा

(ई) कचोरी (दाल की) आलू ग्रेवी वाली सब्जी, फल(1 बड़ा केला या पपीता 100 ग्राम) एवं चाय अथवा

(एफ) पोहा, जलेबी 2 पीस सामान्य साइज़ एवं चाय

(जी) दो उबले अंडे ब्रेड के साथ,[रजिस्ट्रेशन के समय पूर्व सुचना देने वाले प्रशिक्षणार्थि के लिए] फल (1 बड़ा केला या पपीता 100 ग्राम), चाय |

नोट: नाश्ते में कब और क्या बनना है? यह निर्देश विक्रय प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य अथवा सत्र संयोजक(कोर्स कोर्डिनेटर अथवा प्राचार्य द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान किया जावेगा | इस हेतु साप्ताहिक मेनू भी प्रदान किया जा सकता है | प्रतिदिन मेनू विवरण बोर्ड पर लिखना भी अनिवार्य होगा |

3. पूर्वान्ह 11.45 पर चाय, दो मीठा एवं दो नमकीन बिस्किट के साथ।

4. शाम 3.45 पर चाय दो मीठा एवं दो नमकीन बिस्किट के साथ।

नोट:चाय प्रतिदिन दोपहर 11.45 एवं 03.45 बजे ठेकेदार अथवा उनके कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षण कक्ष के सामने उपलब्ध करायी जायेगी |

भारतीय जीवन बीमा निगम,मंडल कार्यालय:जीवन प्रकाश,19 महात्मा गांधी रोड इंदौर(म.प्र.)

5.दोपहर का भोजन:दोपहर भोजन समय दोपहर 1.30 बजे, यदि दो सेशन चल रहे हों तो दूसरे सेशन का समय दोपहर 2.00 बजे का रहेगा।दो सेशन में भोजन का ब्रेक होने पर बीच के समय में टेबल एवं अन्य सफाई की उचित व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।यदि दोनों सेशन में कुल 50 प्रशिक्षणार्थी हैं तो भोजन का समय 1.45 बजे का रहेगा।

नियमित : रोटी [घी लगी] ,तुअर दाल ,चावल, सलाद अचार (सभी असीमित मात्रा), पापड़1, दही/रायता100 ग्राम (सीमित)।

सब्ज़ी : 2 सब्जी असीमित मात्रा में निर्देशानुसार बनाई जावेगी।

मिठाई : 125 ग्राम ।

6. <u>रात्रि भोजन का समय: 08.00 से 09.15 तक</u>

रात्रिकालीन भोजन में दोपहर जैसा नियमित भोजन रहेगा सिर्फ दही एवं पापड़ नहीं रहेगा एवं तुअर दाल के स्थान पर मूंग की या मसूर की दाल बनाई जायेगी |

सब्जी :1 सब्जी असीमित में मात्रा निर्देशानुसार बनाई जावेगी। जो सब्जी दोपहर के भोजन में बनाई जावेगी वह रात्रि भोजन में नहीं बनेगी।

मिठाई :125 ग्राम ।

7. हाई टी –सायं **5.30** बजे – चाय के साथ पकोड़े [**100** ग्राम]/या **2** नग [आलुबडा /कचोरी /समोसा /सेंडविच /ब्रेड पकोड़ा]

7. <u>उच्च गुणवत्ता एवं सेवा के लिए :</u>

(1)<u>सब्जी में निम्न लिखित सब्जियां शामिल रहेगी</u>:1) लौकी 2).भिन्डी 3)बैंगन 4)जीरा आलू 5)पालक/मेथी आलू 6) गिलकी 7) आलू परवल 8)गोभी 9) दम आलू 10) टिंडा मसाला या अन्य कोई हरी सब्जी अथवा राजमा,छोले, बेसन गटटा,सेंव टमाटर, मटर।

नोट:पनीर सप्ताह में एक बार सीमित मात्रा (40 ग्राम प्रति व्यक्ति) प्राचार्य विक्रय प्रशिक्षण केन्द्र के निर्देशानुसार बनाया जावेगा।

(2) प्रत्येक भोजन के साथ मिठाई उच्चस्तरीय दुकान से लाई जायेगी व शेष व्यंजन कैंटीन में ही बनाये जायेंगे|

(3) दोपहर 11.45 चाय और बिस्किट दो मीठा एवं दो नमकीन बिस्किट के साथ एवं 3.45 बजे चाय क्लास रूम के सामने उपलब्ध कराई जायेगी | इसमें काऊँटर,हास्टल तथा कार्यालय के कर्मचारी कोई सहायता नहीं करेंगे।

(4) प्रातः ६.३० से 7.०० बजे तक थर्मस में चाय हॉस्टल के रूम में ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा पहुचाई जायेगी |इसमें काऊँटर,हास्टल तथा कार्यालय के कर्मचारी कोई सहायता नहीं करेंगे।

(5) चयनित ठेकेदार पांच संविदा श्रमिक उपलब्ध करवाएगा जो केन्टीन में तथा चाय वितरण में कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे इनमे से तीन कर्मचारी ३ घंटे के लिए जो माली एवं सफाई का कार्य करेंगे एवं अन्य २ श्रमिक पुरे ८ घंटे के लिये रहेंगे जिनमे से एक श्रमिक द्वितीय तल पर स्थित कार्यालय , क्लास रूम , कंप्यूटर कक्ष , स्पोर्ट्स कक्ष की प्रति दिन दो बार सफाई करेंगे एवं अन्य निर्देशनुसार कार्य करेंगे एवं दूसरा श्रमिक प्रथम तल पर छात्रावास एवं कॉरिडोर एवं काउंटर की प्रति दिन दो बार सफाई एवं अन्य निर्देशनुसार कार्य करेंगे | इन्हें ठेकेदार के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम अकुशल मजदूर की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा तथा ठेकेदार को रु.700.00 प्रति कर्मचारी प्रबंधन व्यय हेतु (अधिकतम 2100/- रूपये) भुगतान किया जायेगा|यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित संविदा श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ठेकेदार के भुगतान से प्रति कर्मचारी रु.700.00 के साथ 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि काटी जायेगी|

(6) अवकाश के दिनों में जो व्यक्ति भवन एवं परिसर की देखभाल करने के लिए रखा जायेगा, उसे शासन की दर के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(7) ठेकेदार द्वारा किराने के समस्त सामग्री एगमार्क वाली प्रयोग किया जाना आवश्यक है|

(8) आटा, दाल एगमार्क वाले खाद्ध तेल ब्रांडेड कम्पनी जैसे कि सनफ्लावर,धारा,दम्मानी,कृति,फोर्च्यून इत्यादि का एगमार्क वाला ही उपयोग में लाया जायेगा |

(9) ठेकेदार द्वारा सौफ़,मिश्री,पेपर-नेपकिन एवं टूथपिक की व्यवस्था नियमित रूप से रखना होगा |

(10) केंटीन में हाथ धोने के लिए लिक्विड सोप,स्वच्छ टॉवेल की व्यवस्था रखनी होगी |

(11) नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रि भोजन के समाप्त होते ही तुरन्त भोजन कक्ष तथा टेबल की सफाई तथा फिलायल से पोछा लगाना सुनिश्चित करना होगा |

(12) ठेकेदार का साक्षर होना आवश्यक है|जिससे कार्यालय में देय बिल सुस्पष्ट एवं शब्दों में अंग्रेजी अंको में प्रस्तुत कर सके एवं सतत संपर्क हेतु ठेकेदार अथवा उनके प्रतिनिधि के पास मोबाईल फोन होना अनिवार्य है,जो कि प्रातः ६.३० बजे से रात्रि 10.00 बजे तक अनिवार्य रूप से चालू रहेगा।

(13) यह सुनिश्चित हो कि ठेकेदार किसी तरह की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो|

(14) ठेकेदार को 100 व्यक्तियों के लिए कप,गिलास,चम्मच,कटोरी,थाली (सभी स्टील की) इत्यादि की व्यवस्था करना होगा|

(15) केन्टीन में काम करने वाले सभी कर्मचारी एवं ठेकेदार स्काई ब्लू रंग का एप्रन एवं डिस्पोजल टोपी आवश्यक रूप से पहनेगें,जिसके ऊपर वाली जेब पर कैंटीन चलाने वाले संस्था का मोनो लगाना अनिवार्य है|

(16)हॉस्टल के रूम में चाय सर्व करने हेतु ठेकेदार को 60 थर्मस की व्यवस्था करना होगा|

(17) ठेकेदार स्वयं,उनके कर्मचारी भले ही वे उसके रिश्तेदार हों, सभी का फोटो पहचान पत्र कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा|

(18) कभी भी आवश्यकता पड़ने पर यदि भोजन बाहर से मंगवाया जाएगा तो भुगतान वास्तविक दर पर परन्तु संविदा में स्वीकृत दर से अधिक नहीं किया जायेगा|

(19) केन्टीन में प्रयोग के बाद प्रति दिन सारा कचरा,छिलके तथा वेस्ट मटेरियल नगर निगम की कचरा पेटी में फिकवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी|

(20) केन्टीन का ड्रेनेज अलग है , इसकी साफ सफाई तथा रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी |

(21) ठेकेदार को सत्र वार बिल कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा|भुगतान माह में दो बार किया जायेगा तथा इस पर नियमानुसार जी.एस.टी. देय होगा। भुगतान सत्र बिल हर पखवाड़े के बाद पांच दिन के अन्दर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी |

(22) बिल पर नियमानुसार टी.डी.एस.काटा जायेगा |

(23) प्रशिक्षण केंद्र द्वारा डबल डोर फ्रिज उपलब्ध कराया गया है जिसके रख रखाव एवं सुधार कार्य करवाने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा ठेका समाप्ति पर इसे चालू हालत में वापस करना होगा|

(24) प्रबन्धन को यह अधिकार रहेगा कि एक माह के नोटिस के साथ इस संविदा को समाप्त कर सकता है। यही अधिकार ठेकेदार को भी होगा कि वह 1 माह का नोटिस देकर संविदा समाप्त कर सकता है।

(25) यदि ठेकेदार द्वारा संविदा में दिए गए सभी मेनू को उपल्ब्ध नहीं कराया जाता है, तो विक्रय प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा की गई ऐसी किसी भी व्यवस्था हेतु किए गए खर्च के ऊपर 10 प्रतिशत राशि काटने की शास्ति आरोपित की जावेगी।

ब:कार्य निष्पादन हेतु अनिवार्य वैधानिक शर्तें:

1) ठेकेदार उत्कृष्ट कार्य निष्पादन एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए संतोष जनक स्तर पर कार्य करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य,व्यवहारिक, मृदुभाषी, अनुशासित श्रमिक को नियुक्त करना होगा जिन्हें हिंदी एवं इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो तथा वे वांछित दस्तावेजो की निकासी भली भांति कर सके।

2) पूर्व उल्लेखित कथनों के अनुसार ही उक्त कार्य में युक्त व्यक्तियों का चयन, प्रतिस्थापन एवं पारश्रमिक का भुगतान का कार्य वेंडर का कार्य होगा।श्रमिक कर्मचारी पुर्णतः ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में ही प्रस्तुत किये जायेगें।

3) कार्य निष्पादन में अक्षम, कार्य के प्रति लापरवाह,चोरी अथवा कोई अनैतिक कार्य,अपशब्दों का प्रयोग,अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या ऐसा व्यवहार जो निगम को अस्वीकार हो करता है तो उसे तत्काल हटा कर नए व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। ऐसे किसी भी अप-कृत्य का निगम के संतोजनक रूप से समाधान करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

4) ठेकेदार यह संविदा किसी और को हस्तातान्तरित नहीं करेगा या इस संविदा का कोई भी हिस्सा भाड़े से नहीँ देगा न ही वह निगम परिसर से कोई व्यक्तिगत कार्य अथवा व्यवसाय करेगा।

5) ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों के फोटो पहचान पत्र एवं पते संबन्धी दस्तावेज प्राचार्य प्रस्तुत किए जावें |

6) निगम में ठेकेदार के अन्य कर्मचारी/एजेंट(नियोजित संविदा श्रमिक के अतिरिक्त) इस अनुबंध को आधार बनाकर प्रविष्टि नहीं होंगे यदि आवश्यकता होती है तो प्राचार्य से पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।

7) ठेकेदार को, संविदा श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) तथा संविदा श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली 1971 की धारा 21 के निर्धारित नियमों के अनुसार सहायक श्रम आयुक्त का वैध लाईसेन्स, अगर लागू हो तो, प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त अधिनियम की अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा।

8) यदि ठेकेदार, संविदा श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) तथा संविदा श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली 1971 की धारा 21 एवं अन्य किसी कानून के निर्धारित नियमों के अनुसार लाईसेन्स प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी वजह से होने वाली किसी भी कार्यवाही के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम , ठेकेदार के कृत्यों, आचरण
अथवा चूकों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा एवं ठेकेदार द्वारा कार्य के लिए नियुक्त किए जा रहे मजदूरों के प्रति, निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

9) ठेकेदार को, वेतन का भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, संविदा श्रम ठेका (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970,कर्मचारी राज्य बीमा कर्मचारी अधिनियम 1948/1950 प्रोविडेंट फण्ड अधिनियम 1952, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एवं किसी अन्य श्रमिक नियम/कानून जिसका इस संविदा में उल्लेख न हो सका हो परंतु शासन द्वारा संविदा श्रम को नियोजित करने हेतु लागू किया गया हो का पालन करेगा एवं संविदा श्रम को नियोजित करने पर आवश्यक सभी कार्य विवरण(रिटर्न्स)शासन द्वारा नियुक्त सम्बंधित अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करेगा तथा उसकी प्रतिया "निगम" को भी उपलब्ध करेगा.ठेकेदार को प्रावधानों के उल्लंघन से, होने वाले समस्त हानियों एवं दावों, क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा के लिए स्वयं अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से क्षतिपूर्ति करनी होगी. ठेकेदार अनुबंध समयावधि की समस्त देयताओं के लिए उत्तरदायी होगा तथा यदि यह क्षतिपूर्ति कोर्ट /अथॉरिटी/ट्रिब्यूनल के आदेश पर "निगम" द्वारा जमा की जाती है तो इसकी कटौती भुगतान हेतु लंबित बिल/आगामी माह में किये जाने वाले भुगतान एवं निगम के पास जमा सुरक्षा निधि से की जायेगी,यह राशि इससे अधिक होने पर शेष राशि की वसूली विधिक प्रकियाओ द्वारा भी की जा सकेगी ।इस सन्दर्भ में "निगम" के सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय ठेकेदार पर बंधनकारी होंगे।

10) अनुबंध समाप्त होने के बाद भी अनुबंध समयावधि की समस्त पेनाल्टी /देयताओं के लिए उत्तरदायी होगा तथा यदि यह क्षतिपूर्ति कोर्ट /अथॉरिटी/ट्रिब्यूनल के आदेश पर "निगम" द्वारा जमा की जाती है तो इसकी कटौती भुगतान हेतु लंबित बिल के भुगतान एवं निगम के पास जमा सुरक्षा निधि (यदि कोई हो) से की जायेगी, यह राशि इससे अधिक होने पर शेष राशि की वसूली विधिक प्रकियाओ द्वारा भी की जा सकेगी।

11) बीमा अधिनियम 1938,पैरा 33(3),संशोधन 2014 के प्रावधानों के अनुसार बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण(आई.आर.डी.ए) "निगम" में नियोजित संविदा श्रमिक से सम्बंधित समस्त आकंडे/रिकार्ड/लेखा के अवलोकन करने के लिए अधिकृत है।आई.आर.डी.ए द्वारा मांगे जाने पर वेंडर को संविदा श्रमिक से सम्बंधित समस्त वांछित जानकारियां उपलब्ध करना होगा।

12) ठेकेदार, उसके द्वारा, इस निविदा के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने हेतु नियुक्त किए गए श्रमिकों को नियमित एवं पूरे वेतन के भुगतान, (वैधानिक न्यूनतम वेतन) एवं अन्य लाभ के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।ठेकेदार "निगम"के पक्ष में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का दावा नहीं करेगा। न्यूनतम वेतन एवं अन्य लाभ राज्यशासन अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा, जो अधिक हो देय होगा।श्रमिकों को भुगतान समान्यतः बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए।इस सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा

रिकार्ड रखा जायेगा एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को, श्रमिकों को वेतन के भुगतान के संबंध में एक लिखित अभिलेख समय-समय पर मांगे जाने पर, जाँच हेतु, प्रस्तुत किया जाएगा।

13) ठेकेदार कार्य करनेवाले संविदा मजदूरों की व्यक्तिगत शारीरिक चोट/नुकसान/बीमारी के बारे में उचित बीमा-सुरक्षा करवाएगा।यह सुनिश्चित करेगा कि यह बीमा सुरक्षा करार की अवधि के दौरान पूरी अवधि के लिए विधिमान्य हो।

14) ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन हेतु नियुक्त किये गए संविदा श्रमिको द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की सामग्री/उपकरणों /सम्पति को पंहुचायी गयी किसी भी प्रकार की क्षति की प्रतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा।

15) कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति सुबह ५.३० बजे से पूर्व तथा रात्रि ११.00 बजे के बाद विक्रय प्रशिक्षण केन्द्र के परिसर में नहीं रहेगा।

16) ठेकेदार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति /समूह के लिए किसी प्रकार का खाना नहीं बनाया जावेगा।

17) ठेकेदार द्वारा कैंटीन में कमर्शिअल गैस सिलेंडर का ही प्रयोग किया जावेगा।

18) बिजली का कोई भी उपकरण खाना बनानें हेतु ठेकेदार द्वारा उपयोग में नहीं लाया जावेगा ।

18) संविदा का समस्त शासकीय व्यय ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा।

19) ठेकेदार के अतिरिक्त उसका कोई भी प्रतिनिधि या कर्मचारी अपना वाहन कार्यालय परिसर के अन्दर नहीं लावेगा।

20) किचन की साफ-सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।

21) कार्य हेतु किसी प्रकार की अग्रिम देय नहीं है|

22) उक्त शर्तो के अतिरिक्त तकनीकी बिड में निर्धारित कार्य निष्पादन हेतु अनिवार्य शर्ते संविदा का भाग होगा।

23) केन्टीन में अलग से सब मीटर लगाया जायेगा इसमें आई यूनिट के अनुसार निर्धारित दरों पर भुगतान केन्टीन वेंडर को देना होगा | यह राशी वेंडर को भुगतान किये जाने वाले बिल से कट ली जावेगी |

24) GST/INCOME TAX/श्रमिक को दिए वेतन विवरण इत्यादि से सम्बन्धी सभी भुगतान एवं स्टेटमेंट की कापी प्रति माह नियमित रूप से अगले बिल के साथ संलग्न की जावेगी |

25) सत्र समाप्ति के बाद दो कार्य दिवस के अन्दर उस सत्र के दौरान एक दिन पूर्व रात्रि भोजन से लेकर अंतिम दिन रात को दिए भोजन तक का निर्धारित विवरण पत्रक सत्र संचालक को प्रस्तुत कर दिया जावेगा |

..7...

26) किसी भी निर्देश के उल्लंघन या स्वच्छता में कमी या खाने की गुणवत्ता या मात्रा में कोई त्रुटी पाई जाती है तो पखवाड़े के बिल की राशी में **10** प्रतिशत तक की कटोती पेनल्टी लगाईं जा सकती है |

27) ठेकेदार किसी भी प्रकार की फुड पोइसोनिंग के लिए वैधानिक कार्यवाही हेतु एवं चिकित्सीय खर्च हेतु पूर्ण रूप से जवाबदार रहेगा |इस हेतु निगम द्वारा सख्त कार्यवाही कर पेनेल्टी लगाईं जायेगी |

मुझे उपरोक्त सभी शर्ते मान्य है एवं मैं शर्तो के अनुपालन का वचन देता हूँ।

दिनांक:

स्थान:

सेवा प्रदायक के हस्ताक्षर एवं मुहर